अनुसूची14—फारम सं0 563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई करवाई के बारे में टिप्पणी ,तारीख के साथ 3

न्यायालय- अनुमण्डल दण्डाधिकारी, अरवल ।

धारा- विविध, मकान नियंत्रण अधिनियम

वाद संख्या - 411/ 2012.

श्री भगवान प्रसाद बनाम , शान्ता देवी वगैरह

आ दे श

22/8/2012

प्रस्तुत वाद प्रथम पक्ष द्वारा दाखिल आवेदन के आलोक में प्रारम्भ की गई। प्रथम पक्ष का कथन है कि खाता नं0-21, प्लॉट नं0-21, रकबा-5 डी0 ,अवस्थित मौजा- मुरादपुर चौकी,थाना व जिला- अरवल, प्रथम पक्ष की खतियानी भूमि है तथा खतियान में रामचरण सोनार का नाम दर्ज है ।

प्रथम पक्ष का अग्रेतर कथन है कि खाता नं0- 21, प्लॉट नं0-21, रकबा- 2 डी0 भूमि पाँचु सोनार की पत्नी- समुद्री देवी से वसीयत द्वारा दिनांक- 11/12/1975 को प्रथम पक्ष की पत्नी- सुमीता देवी को प्राप्त हुआ जिसका दाखिल-खारिज वाद संख्या- 86/90- 91 है और बिहार सरकार को राजस्व का भुगतान किया जा रहा है। अग्रेतर

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई करवाई के बारे में टिप्पणी ,तारीख के साथ 3
	-2- इनका कथन है कि उक्त खाता- प्लॉट के शेष 3 डी0 भूमि पर बना मकान प्रथम पक्ष एवं इनके परिवार का इजमाल सम्पत्ति है,जिस पर बँटवारा वाद संख्या-211/2011 सब जज - प्रथम, जहानाबाद के न्याया-लयमें विचाराधीन है। अग्रेतर इनका कथन है कि दिनांक 14/02/2012 को सुबह 8·00 बजे द्वितीय पक्ष कुछ अनजान सहयोगियों के साथ हरवे- हथियार से लैस होकर भूमि पर आये और गाली-गलौज कर मकान के स्वरूप को परिवर्तित करने लगे । इनका कथन है कि उक्त वाद संचालित कर द्वितीय पक्ष को कार्यवाही के निष्पादन तक वाद में निहित भूमि पर निर्मित मकान के स्वरूप को परिवर्तित करने पर रोक लगायी जाय । द्वितीय पक्ष द्वारा उक्त वाद अन्तर्गत निर्धारित तिथि को एक आवेदन दाखिल कर सर्वप्रथम प्रश्नगत मकान का स्वयं स्थल निरीक्षण कर निर्णय देने का अनुरोध किया गया । उभय पक्ष को सुना तथा स्वयं मकान के निरीक्षण करने का निर्णय लिया । द्वितीय पक्ष का कथन है कि इनके द्वारा उक्त मकान के वास्तविक	